झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

संख्या–खा0आ0प्र0–1(विविध)–05 / 2013– /राँची, दिनांक

संविधान की धारा 243 (जी0) की शर्तों के अनुसार ग्यारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है, जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने की शक्ति प्रदान कर सके।

2. झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 75(27), 76(क)(xxvi) तथा 77(क)(xxv) के प्रावधानों के आलोक में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं खाद्यान्न की अधिप्राप्ति कार्यों का पंचायती राज संस्थाओं को निम्न रूप से प्रत्यायोजित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है:–

विषय	जिला परिषद् का कार्य / शक्ति	पंचायत समिति का कार्य / शक्ति	ग्राम पंचायत का कार्य / शक्ति
(1) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण	(I)(क) जिला स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, जिला परिषद् द्वारा किया जायगा।	(I) (क) प्रखंड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, पंचायत समिति द्वारा किया जायगा।	(I) (क) पंचायत स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायगा।
	(ख) डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दूकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायगा।	(ख) डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दूकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायगा।	(ख) डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दूकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायगा।
	(II) जिला स्तर पर गठित वितरण –सह– निगरानी समिति में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित उपायुक्त तथा राज्य स्तरीय वितरण – सह – निगरानी समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा भेजेगी।	(II) पंचायत समिति स्तर पर गठित वितरण–सह– निगरानी समिति में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को अपनी अनुशंसा भेजेगी।	(II) ग्राम पंचायत स्तर पर गठित वितरण –सह– निगरानी समिति में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत अपनी अनुशंसा भेजेगी।
(2) राशन कार्ड वितरण संबंधी कार्य	(I) पंचायत स्तर पर राशन कार्डों के पुनरीक्षण / सर्वेक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य का जिला परिषद् द्वारा पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जायगी।	(I) अपने क्षेत्र अन्तर्गत पंचायतों द्वारा राशन कार्डों के पुनरीक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य पर पंचायत समिति निगरानी रखेगी।	(I) पंचायत स्तर पर राशन कार्ड का पुनरीक्षण / सर्वेक्षण एवं, वितरण करने तथा बोगस यूनिट एवं बोगस राशन कार्ड की पहचान एवं बी0पी0एल0 की योग्यता नहीं रखने वाले कार्डधारियों

स्थायी

			को चिह्नित करने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायतों की होगी।
(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति	(I) जिला परिषद् अधिप्राप्ति के मामले में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन दोनों संस्थाओं को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।	(I) पंचायत समिति अधिप्राप्ति के मामले में ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन ग्राम पंचायतों को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।	(I) विभिन्न खाद्यान्नों का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति में अधिप्राप्ति एजेन्सियों को अपना सहयोग देगी।
(4) अन्नपूर्णा योजना तथा अन्त्योदय अन्न योजना	(I) . जिला परिषद् अन्नपूर्णा योजना तथा अन्त्योदय अन्न योजना के लाभान्वितों के चयन के मामले में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन दोनों संस्थाओं को सामान्य निदेश जारी कर सकेगी।	(I) पंचायत समिति अन्नपूर्णा योजना तथा अन्त्योदय अन्न योजना के लाभान्वितों के चयन के मामले में ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में ग्राम पंचायतों को सामान्य निदेश जारी कर सकेगी।	(I) अन्नपूर्णा योजना तथा अन्त्योदय अन्न योजना के तहत् लाभान्वितों को बी0पी0एल0 सूची से चिह्नित कर चयन करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित संख्या के अनुसार ग्राम पंचायत अपनी अनुशंसा कर सकेगी।
(5) कार्मिकों पर नियंत्रण	(I) जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेंगे तथा जिला परिषद् द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएंगे एवं उपर्युक्त कार्यों से संबंधित निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।	(I) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेंगे तथा पंचायत समिति द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।	—

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अजय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–खा0आ0प्र0–1(विविध)–05/2013– /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

(अजय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।

खाद्य

(3)

ज्ञापांक–खा0आ0प्र0–1(विविध)–05/2013– 1621 /राँची, दिनांक 14-5-13

प्रतिलिपि – झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/प्रभारी परामर्शी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, पंचायती राज एवं एन॰आर॰ई॰पी॰ (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राँची/सभी उप–विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी उप–निदेशक (खाद्य)/सभी विशिष्ट पदधिकारी, अनुभाजन/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/5/13

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव